

पंजीकृत पावती उल्लंघन पत्र

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय  
कर्मयोगी भवन, चतुर्थ तल, ब्लॉक-2, सी विंग,  
सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात, 382010



Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of Regional Controller of Mines  
Karmayogi Bhavan, 4<sup>th</sup> Floor, Block-2, C Wing, Sec 10A  
Gandhinagar, Gujarat-382010

Tel- 079 29750358 /29750359; ई-मेल/ E-mail: ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावली संख्या: MCDR-MiFLOBXT/120/2022-GNR-IBM\_RO\_GNR Mine code : 07GUJ09018 ID दिनांक:

सेवा में : Sh. Janakkumar kantilal Sadhu

R/o 2531, Alkapuri Society,  
Opp Pranami Temple, Dakor,  
Ta : Thasra Dist : Kheda  
Gujarat- 388 225

E-mail: rakeshdodiya0@gmail.com

विषय: गुजरात राज्य के जिले खेड़ा, तालुका- थसरा में स्थित आपकी अमृतपुरा बॉक्साइट खान, क्षेत्रफल- 6.00 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन। महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का एम.सी.डी.आर/ स्टार रेटिंग निरीक्षण स्नेहलकुमार पटेल, सहायक खनन अभियंता द्वारा दिनांक 09.10.2024 को श्री राकेश डोडिया, माइनिंग इंजीनियर एवं टीम की उपस्थिति में किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया-

नियम सं.	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	इस कार्यालय के पत्र संख्या 684(4)(1)/MP-275/2020-21/GNR दिनांक 06.10.2020 के द्वारा अनुमोदित रिट्यू खनन योजना के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य किया जा रहा है- (१) अनुमोदित खनन योजना के बिन्दु संख्या 8.3 के अनुसार वर्ष 2023-24 में खान पर 80मी. Fencing लगाना प्रस्तावित था, लेकिन निरीक्षण के समय पाया गया कि Fencing लगभग 30मी. तक ही लगाई गई है, जो की प्रस्ताव से कम है। (2) अनुमोदित खनन योजना के बिन्दु संख्या 8.3 के अनुसार वर्ष 2023-24 में खान में 70 पौधे लगाना प्रस्तावित था, लेकिन निरीक्षण के समय पाया गया कि पौधे लगभग 25 ही लगाए गए हैं, जो की प्रस्ताव से कम है।

०२. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
०३. खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम संख्या 11(1) तथा अन्य नियमों की पालना नहीं होने से व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से खनन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः उपरोक्त नियमों की पालना नहीं करने पर नियम 11(2) के अंतर्गत खनन क्रियाएं स्थगित (निलंबित) की जा सकती हैं अथवा राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की जा सकती है।

०४. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अति शीघ्र सुधार कर इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से ४५ (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।
०५. यह उल्लंघन पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय

Signed by Manish Gupta

Date: 25-11-2024 10:32:38

( मनीष गुप्ता )

सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि (मूल पर नहीं) -

१. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
२. आयुक्त, भू विज्ञान एवं खनन, गुजरात सरकार, पुराना सचिवालय, ब्लॉक न.- 15, डा जीवराज मेहता भवन, सैक्टर- 10, गांधीनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
३. रक्षित पत्रावली।

सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो